प्रेस रिलीज़: इंश्योरेंस कॉनक्लेव में ईएसआईसी SPREE 2025 योजना पर हुई चर्चा

पटना, बिहार - 28 जुलाई 2025

इं डयन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा पटना के मौर्य होटल में इंश्योरेंस कॉनक्लेव का आयोजन कया गया. इस कॉनक्लेव में सरकार द्वारा प्रायोजित बीमा योजनाओं पर चर्चा के लए ईएसआईसी की तरफ़ से क्षेत्रीय निदेशक 'सीए. निरंजन कुमार' ने भाग लया। उन्होंने संगोष्ठी के दौरान कार्यक्रम में उपस्थित माननीय सूचना प्रद्यो गकी मंत्री बिहार सरकार, सीडैक, एलआईसी सहित व भन्न बीमा कंपनी के अ धकारियों, उधमी, जी वका, फनटेक कंपनी, स्टार्टस अप व हितधारकों की उपस्थिति में सभा को संबो धत करते हुए ईएसआई की सामाजिक सुरक्षा योजना पर प्रकाश डाला।

ईएसआईसी द्वारा हाल ही में लांच SPREE 2025 (Scheme to Promote Registration of Employers/Employees) योजना के वषय में वस्तार से बताते हुए अवगत कराया की वैसे नियोक्ता या संस्थान जिन्होंने चूकवश या अनजाने में अपने संस्थान को अबतक ईएसआई अ धनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं करा पायें हैं उन्हें 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक बिना पछले अव ध के बकाया की मांग के पंजीकृत करने के लए अवसर प्रदान करती है।

- इस योजना के तहत कर्मचारी द्वारा घो षत पंजीकरण ति थ से पहले की अव ध के लए कोई रिकॉर्ड जांच या बकाया की मांग नहीं की जायेगी
- पछली अव ध के लए कोई अंशदान भुगतान का दायित्व नहीं होगा।
- पछले गैर-पंजीकरण के लए कोई कार्रवाई नहीं होगी।

यह भी चर्चा की गई क ईएसआईसी द्वारा 1 अक्टूबर 2025 से एमनेस्टी स्कीम लागू की जाएगी। इसके तहत नियोक्ताओं के खलाफ दर्ज मुकदमों और न्यायालयों में लंबित मामलों को वापस लेने और त्वरित समाधान का अवसर प्रदान कया जाएगा, वशेष रूप से उन मामलों में जहां बकाया रा श का भुगतान हो चुका हो।

संगोष्ठी में उपस्थित लोगों ने क्षेत्रीय निदेशक से ईएसआईसी से जुड़े वषयों पर प्रश्नोत्तरी सत्र के दौरान ढेरों प्रश्न कये। उन्होंने ईएसआई की सामाजिक सुरक्षा योजना को नियोक्ताओं के लए मददगार बताते हुए अवगत कराया की इस अ धनियम के दायरे में आते ही संस्थान को कामगार क्षतिपूर्ति अ धनियम एवं मातृत्व अ धनियम से छुट प्राप्त हो जाती है। आज Ease of

Doing Business के तहत कसी भी संस्थान में कोई भी इंस्पेक्टर बिना अनुमति नहीं जा सकता है । अतः नियोक्ता अपने कार्य पर ध्यान केन्द्रित करते हुए चंता मुक्त व्यापार करें और श्र मकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लए भयमुक्त तरीके से SPREE योजना में अपने संस्थान को पंजीकृत कर लें ।

संगोष्ठी में ईएसआईसी के उप निदेशक श्री राकेश रंजन तिवारी, केशव कुमार झा, सहायक निदेशक सत्यजित कुमार शा मल रहे।